आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य तथा
श्री उद्यन दासगुप्ता, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 878/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2017-18

अरूण कुमार श्रीवास्तव, 162, अमितेश नगर, राजीव गांधी चौराहे के पास, इंदौर	बनाम	सहायक / उप आयकर आयुक्त 1(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एओपीपीएस 9595 एच PAN- AOPPS9595H		

अपीलार्थी की ओर से	लिखित प्रतिवेदन
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	27.01.2025
उद्घोषणा तिथि	27.01.2025

आदेश

श्री उद्यन दासगुप्ता, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (एनएफएसी), दिल्ली के आदेश दिनांक 15.10.2024 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि सहायक निदेशक आयकर, सीपीसी के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अधीन आदेश दिनांक 03.03.2021 से उद्भूत है।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिखित आवेदन दिनांक 22.01.2025 दाखिल किया गया है जिसमें निर्धारिती द्वारा निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024**" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 दाखिल किया है । निर्धारिती के आवेदन के उत्तर में प्रधान आयकर आयुक्त-1, इंदौर द्वारा फार्म सं. 2 में प्रमाणपत्र जारी किया गया है । निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 2 की प्रति भी दाखिल की गई

हैं । उक्त योजना के नियमों के अनुसार, निर्धारिती से यह अपील वापिस लेना तथा अपील वापिस लेने का साक्ष्य फार्म सं. 3 के साथ दाखिल करना अपेक्षित है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने की इच्छुक नही है । निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, निर्धारिती विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 27.01.2025 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(उदयन दासगुप्ता)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 27.01.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल